296

भी हक्स चन्द्र कह ,ाय : मैं विधेंसक को पुरःस्थापित करता हं।

STARVATION DEATHS (PRECAU-TIONARY MEASURES AND RES-PONSIBILITIES) BILL.

भी हरूम चन्द कछवाय (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे भुख से मुत्रुन होने देने के लिये और इस सम्बन्ध मे उत्तरदायित्व के लिये ग्राम एवम जिला प्राधिकारियों द्वारा पूर्वविधानी उपायो का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पूर.-स्थापित करने की ग्रनुमति दी जाये।

DEPUTY-SPEAKER: MR. The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for precautionary measures by village and district authorities to avoid starvation deaths and for responsibilities therefor."

The motion was adopted.

श्री हरून चन्द कंद्रवाय : मै विधेयक को पुरस्थापित करता हं।

LIQUOR (REGULATION OF DUCTION, SUPPLY AND DISTRI-BUTION) BILL.

चौचरी राम गोपाल सिंह (दिनहीर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हं कि मुझे शराब के व्यापार धीर वाणिज्य धीर उसके उत्पादन, प्रदाय भीर वितरण के सम्बन्ध मे कतिपय निर्वन्धनो का ग्रौर उससे सम्बन्धित या धान्षंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की मनुमति दी जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"Tout leave be granted to introduce a Bill to provide for certain restrictions in relation to trade and commerce in, and production, supply, and distribution of liquor and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

े 🕻 बौधरी राम गोपाल सिंह : मै विधेयक को पूर स्थापित करता हं।

INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL. (Amendment of Sections 2, 17 etc.)

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसीर) : उपाध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हं कि मझे भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिचद ब्रिधिनियम, 1970 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर स्थापित करने की भनुमति दी जाये।

MR DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"Toat leave be granted to introduce a Bill to amend the Indian Medicine Central Council Act, 1970."

The motion was adopted.

डा० लक्ष्मी नारायण पाडेय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हं।

PROHIBITION ON INDICATION OF CASTE BILL

SHRI D. D. DESAI (Kaira); I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for prohibition on indication of caste, religion, commutity or region, etc., with the name.

^{*}Published in Gazette of India Extraordinaly Part II, section 2, dated 2-12-1977.